



राज्य शहरी आजीविका मिशन, (एस०यू०एल०एम०) उ०प्र०
(राज्य नगरीय विकास अभिकरण,— सूडा उ.प्र.)



प्रथम तल,पर्यटन भवन,विपिन खण्ड,गोमती नगर, लखनऊ 226010

दूरभाष एवं फैक्स: 0522-2307798 e-mail:nulmup@gmail.com website:www.sudaup.org

पत्रांक:- 157 / 241 / NULM / तीन / 2001(SUH)Vol-IV

दिनांक 23-2-2017

सेवा में,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष

जिला नगरीय विकास अभिकरण-लखनऊ, कानपुर नगर, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, बरेली, मुरादाबाद, गोरखपुर, अलीगढ़, झांसी, मेरठ, फिरोजाबाद, इलाहाबाद, मुजफ्फरनगर, मथुरा, मऊ, हापुड़, बुलन्दशहर, फतेहपुर, रायबरेली, उन्नाव, बदरगढ़, मैनपुरी, सम्भल, गोण्डा, महोबा, प्रतापगढ़, महाराजगंज, भदोही, चन्दौली, आजमगढ़, कौशाम्बी, बलिया, बिजनौर, गाजीपुर, बांदा, कासगंज, कानपुर देहात, हाथरस, सोनभद्र, फर्रुखाबाद, कन्नौज, एटा, रामपुर, बाराबंकी, गौतमबुद्धनगर, सिद्धार्थनगर, जालौन, अमेठी, श्रावस्ती, अमरोहा, सुलतानपुर, जौनपुर एवं इटावा।

विषय:-दीनदयाल अन्त्योदय योजना- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) के घटक शहरी बेघरों के लिए आश्रय (SUH) योजनान्तर्गत निर्मित/नवीनीकृत आश्रय गृहों में उपयोगार्थ सामग्रियों की गुणवत्ता की जांच के सम्बन्ध में।

महोदय,

दीनदयाल अन्त्योदय योजना- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) के घटक शहरी बेघरों के लिए आश्रय (SUH) योजनान्तर्गत उपरोक्त जनपदों में आश्रय गृह के नये निर्माण और नवीनीकरण/उच्चीकरण की योजनायें स्वीकृत की गई हैं। सम्बन्धित डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) में आश्रय गृह के निर्माण कार्यों के अतिरिक्त रसोई घर में प्रयुक्त होने वाले उपकरण, बर्तन आदि तथा दैनिक उपयोग हेतु लकड़ी के दीवान, दरी, मैटिंग, गद्दे, कम्बल, बेड शीट, तकिया, मेज, कुर्सी, फर्नीचर और उपयोग एवं प्रयुक्त होने वाली इलेक्ट्रिकल उपकरण व अन्य सामग्रियों के क्रय के साथ ही आश्रय गृह के 05 वर्षों के संचालन और अनुरक्षण की धनराशि भी स्वीकृत है। 5 वर्षों बाद सम्बन्धित नगरीय निकायें इनका संचालन और अनुरक्षण अपने संसाधनों से करेंगी। इस कार्यालय के पत्र सं० 2400/241/NULM/तीन/2001(SUH)Vol-III दिनांक 03.09.2015 द्वारा आश्रय गृहों के निर्माण कार्य की गुणवत्ता की निरीक्षण जिलाधिकारी/अध्यक्ष डूडा द्वारा गठित जनपदीय टास्कफोर्स के माध्यम से किये जाने का प्राविधान किया गया है।

आश्रय गृहों में उपयोग में लाई जाने वाली उपरोक्त सामग्रियों और उपकरणों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए निम्नानुसार क्रय समिति का गठन किया जाता है-

1. सिटी प्रोजेक्ट आफिसर-सी०एम०एम०यू०/परियोजना निदेशक-डूडा -अध्यक्ष
2. परियोजना प्रबन्धक, सी०एण्ड डी०एस, उ०प्र० जल निगम -सदस्य सचिव
3. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/वित्त एवं लेखाधिकारी, नगर निगम -सदस्य
4. परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी, डूडा -सदस्य
5. सिटी मिशन मैनेजर-सी०एम०एम०यू० -सदस्य

आश्रय के उपयोगार्थ समस्त सामग्रियां/उपकरण इस क्रय समिति के पर्यवेक्षण और निर्देशन में क्रय की जायेगी। डी०पी०आर/आगणन में स्वीकृत मानक के साथ गुणवत्ता बनाये रखने का दायित्व इस समिति का होगा।

अतः अनुरोध है कि कृपया तदनुसार कार्यवाही करते हुए जनपद में नये निर्माण/उच्चीकरण किये जा रहे आश्रय गृहों के निर्माण कार्य शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कराकर, संचालन एवं प्रबन्धन हेतु अपेक्षित कार्यवाही करते हुए इन्हें कार्यशील कराये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
मिशन निदेशक

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. सचिव, नगर विकास एवं नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ०प्र० शासन।
2. निदेशक नगरीय निकाय निदेशालय, आठवां तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
3. सम्बन्धित नगर आयुक्त, नगर निगम।
4. सम्बन्धित सी०पी०ओ० सी०एम०एम०यू०/परियोजना निदेशक, डूडा।
5. निदेशक सी०एण्ड डी०एस० उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
6. सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत।
7. सम्बन्धित परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी, डूडा।
8. सम्बन्धित सिटी मिशन मैनेजर, सी०एम०एम०यू०।
9. सहायक वेबमास्टर सूडा को वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
मिशन निदेशक

आश्रय गृहों में उपरोक्त समस्त सामग्रीयों/संपकरणों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए निम्नानुसार कार्य समिति का गठन किया जाता है—

1. सिटी निदेशक/अधिकारी - सी०एम०एम०यू०/परियोजना निदेशक - डूडा - अध्यक्ष
2. परियोजना प्रबन्धक - सी०एण्ड डी०एस० उ०प्र० जल निगम - सदस्य/सचिव
3. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/विस्तार एवं उन्मूलन अधिकारी, नगर निगम - सदस्य
4. परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी, डूडा - सदस्य
5. सिटी मिशन मैनेजर - सी०एम०एम०यू० - सदस्य

आश्रय के उपरोक्त समस्त सामग्रीयों/संपकरण इन कार्य समिति के पर्यवेक्षण और निरीक्षण में कार्य की जाएगी। सी०पी०ओ०/आयुक्त में स्वीकृत मानक के साथ गुणवत्ता बनाये रखने का दायित्व इस समिति का होगा।